अनुलग्नक-1

<u>वर्ष 2018-19 और उसके बाद के लिए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के चयन एवं उनकी नियुक्ति के लिए नीति:-</u>

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक की योग्यता, सूचीकरण और चयन के लिए मानदंड:

i) लेखापरीक्षा फ़र्म के पास न्यूनतम 7 पूर्णकालिक अधिकृत लेखाकार हो जिसमें न्यूनतम 5 पूर्णकालिक साझेदार हो जो कि फ़र्म के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हों। शेष दो या तो पूर्णकालिक साझेदार हो या कम से कम एक वर्ष की अवधि से फ़र्म के साथ लगातर जुड़े हुए हो। इन साझेदारों का फ़र्म के साथ लगातार संबंध हो अर्थात प्रत्येक का फ़र्म के साथ कम से कम 15 वर्ष तथा 10 वर्षों का संबंध हो, दो का संबंध कम से कम 5 वर्ष का हो और एक का कम से कम एक वर्ष का हो। चार साझेदार एफ़सीए हो। साथ ही, कम से कम दो साझेदारों का प्रैक्टिस (अगर फ़र्म में बिना रुकावट कोई वेतनभोगी लेखा परीक्षक उपलब्ध हो तो तथा उन्हें आगे की तिथि से साझेदार माना गया हो तो उनकी साझेदारी उनके वेतनभोगी लेखा परीक्षक के रूप में कार्यग्रहण की तिथि से ही मानी जाएगी) अनुभव न्यूनतम 15 वर्ष तथा 10 वर्ष हो।

* 'अनन्यतः सहबद्ध' की परिभाषा, जो निम्नांकित योग्यता मानदंड पर आधारित है:-

(ए) पूर्णकालिक साझेदार किसी अन्य फर्म के साझेदार न हो।

(बी) वह कहीं अन्यत्र पूर्ण/ आंशिक कालिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त न हो।

(सी) वह अपने नाम पर या अन्य किसी के नाम पर या चार्टर्ड अकाउण्टेण्ड अधिनियम, 1949 की धारा 2(2) के अंतर्गत प्रैक्टीसिंग के रूप में मानी गयी ऐसी किसी भी गतिविधि के माध्यम से प्रैक्टीसिंग कार्य नहीं कर सकता है।

(डी) फर्म के साझेदार से प्राप्त मुआवज़ा@ निम्नांकित सीमा से कम न हो:-

यदि फर्म का प्राधान कार्यालय निम्नांकित स्थान पर स्थित हो तो :-

(i) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूरु एवं हैदराबाद	**एसीए साझेदार -** रु. 1.80 लाख प्रति वर्ष (रु. 15000/- प्रति महीना) **एफसीए साझेदार -** रु. 3.00 लाख प्रति वर्ष (रु. 25000/- प्रति महीना)
(ii) अन्य स्थानों में	**एसीए साझेदार -** रु. 1.20 लाख प्रति वर्ष (रु. 10000/- प्रति महीना) **एफसीए साझेदार -** रु. 1.80 लाख प्रति वर्ष (रु. 15000/- प्रति महीना)

(ई) उस साझेदारी को अनन्यतः को सहबद्ध न माना जाए, जहाँ साझेदार को फर्म द्वारा देय मुआवज़ा@ निम्नांकित से कम है:-

14 से अधिकार साझेदार युक्त फर्मों के लिए	1%
10 - 14 साझेदार युक्त फर्मों के लिए	3%
5 - 9 साझेदार युक्त फर्मों के लिए	5%

5 से कम साझेदार युक्त फर्मों के लिए 8%

@ कुल मुआवज़ा = कुल लाभ शेयर, मानदेय एवं पूँजी पर ब्याज

ii) बुक किपिंग और लेखा शास्त्र के जानकार तथा बाहरी लेखापरीक्षा में संलिप्त लेखा और निपुण लिपिकों की संख्या (टंकक, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर संचालक, सचिव/वों और अधीनस्थ कर्मचारी इत्यादि को छोड़कर) 18 होने चाहिए।

iii) फ़र्म कम से कम 15 वर्षों से कार्यरत हो जिसकी गणना फ़र्म में उस दिन से की जाएगी जिस दिन से फ़र्म में कम से कम एक पूर्णकालिक एफ़सीए उपलब्ध रहा हो।

iv) फ़र्म को सार्वजनिक क्षेत्रों में सांविधिक केंद्रीय लेखा में कार्य करने का कम से कम अनुभव 15 वर्षों का हो (राष्ट्रीयकरण होने से पहले या बाद) और/या निजी क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखा के मामलों में उन बैंकों में कार्य करने का अनुभव हो जिसकी जमा पूंजी कम से कम 500 करोड़ का हो। (यदि किसी ऑडिट फर्म के किसी साझेदार को किसी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के बोर्ड में कम से कम 3 वर्षों के लिए या इससे अधिक अवधि के लिए नामित/ चयनित किया जाता है तो बैंक लेखापरीक्षा के रुप में उसका अनुभव अधिकतम तीन वर्षों के लिए माना जाएगा, बशर्ते, उसके द्वारा इस अनुभव की प्राप्ति समसामयिक रुप के न की गई तो अर्थात् जब उनके फर्म को किसी पीएसबी, चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं या आरबीआई का सांविधिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया था।)

v) फ़र्म को 5 वर्ष तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सांविधिक लेखापरीक्षा का अनुभव हो (केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम) । (ऐसे अनुभव की गणना करते समय, किसी खास एक वर्ष/या उससे अधिक में फर्म को दी गई कम से कम एक सांविधिक लेखापरीक्षा को अनुभव के गणना के उद्देश्य से एक वर्ष का अनुभव माना जाएगा।)

vi) फ़र्म के कम से कम दो साझेदार या इसके वेतनभोगी लेखापरीक्षक के पास सीआईएसए/आईएसए की योग्यता अवश्य हो।

vii) फर्मों के विलय व विलगाव संबंधी मामलों में, विलय का प्रभाव विलय के 2 साल के बाद ली जाए और विलगाव संबंधी मामलों में प्रभाव तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

<u>नोट:</u> उपरोक्त मानकों के आधार पर संगत वर्ष के 1 जनवरी से सीएजी लेखापरीक्षक फ़र्म को सूचीबद्ध करेगा और सूची भा.रि.बैंक में प्रेषित करेगा।

<u>सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति की प्रक्रिया</u>

1) मध्यम दर्जे का बैंक (वर्ग "बी") होने के कारण सिंडिकेट बैंक में 5 एससीए से अधिक नहीं होंगे। हालांकि नियुक्त किए जाने वाले, एससीए की वास्तविक संख्या का निर्धारण उपर्युक्त के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर बैंक का बोर्ड करेगा।

2) एससीए के रूप में 3 वर्ष की अवधि पूरा करने पर विराम अवधि तीन वर्ष की होगी।

3) भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों को पूरा करने तथा उनकी उपर्युक्तता के अधीन एससीए की नियुक्ति वार्षिक आधार पर होगी।

4) वित्तीय वर्ष 2014-15 से एससीए का चुनाव व नियुक्ति बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से किया जाएगा।

5) एससीए के चयन की प्रक्रिया निमन्वत है-

ए) प्रत्येक वर्ष सीएजी द्वारा प्रदत्त अर्ह फ़र्मों की सूची की परीक्षा भा.रि.बैंक करेगी।

बी) भारतीय रिजर्व बैंक अपने अभिलेखों से यह सत्यापित करेगा कि फ़र्म को कम से कम 15 वर्षों का बैंक के लेखापरीक्षा का अनुभव हो।

सी) वह फ़र्म जिसे लेखापरीक्षाकरने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/सीएंडएजी ने मना कर दिया हो अथवा जिसने कभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियुक्ति पत्र को ठुकरा दिया हो, को छोडकर, भारतीय रिजर्व बैंक रुके हुए, जारी और अनियमित अर्ह लेखा फ़र्म की सूची तैयार करेगा। अनियमित योग्य लेखा परीक्षक फ़र्म की सूची को फिर दो भागों में, अनुभवी लेखा परीक्षक फ़र्म की सूची एवं नए लेखापरीक्षक फ़र्म की सूची में बांटा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को i) नियमित फ़र्म की सूची (i.e. वैसी लेखापरीक्षा फ़र्म जिसने लेखापरीक्षाके 3 वर्ष पूरे नहीं किए हैं ii) अर्ह, अनियमित लेखापरीक्षा फ़र्म की सूची जिसके दो भाग होंगे- अनुभवी लेखापरीक्षा फ़र्म तथा नए लेखापरीक्षा फ़र्म।

डी) एससीए की रिक्ति के आबंटन 'अनुभवी फ़र्म' तथा 'नए फ़र्म' में 60:40 के अनुपात में किए जाएंगे। 60:40 के अनुपात के संबंध में बैंक संख्या को निकटतम संख्या तक ग्रउंड ऑफ करेंगे और 'अनुभवी' और 'नए' फर्म सूची में से लेखापरीक्षक चुनेंगे। इस उद्देश्य के लिए अनुभवी ऑडिट फ़र्म से तात्पर्य वैसे फ़र्म से है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट करने का अनुभव हो और नए फ़र्म का अर्थ उस फ़र्म से है जिसने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

ई) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेखापरीक्षक फर्म को 'अनुभवी' और 'नए' में वर्गीकृत कर (सीएजी द्वारा किया हुआ) ग्रेड़ेड सूची उपलब्ध कराई जाएगी। सीएजी द्वारा दिए गए पॉइंट्स के आधार पर दोनों सूची अर्थात अनुभवी एवं नए फ़र्म की रैकिंग (बड़े से छोटा) की जाएगी। बैंक मानदंडों के अनुसार दोनों सूचियों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों का चयन करेगा। फिर, ग्रेडेड सूची में से, 'ए' वर्ग के बैंकों के लिए कट ऑफ होगा जो सीएजी के रैंकिंग में संख्या 'ए' वर्ग में उस वर्ष की उपलब्ध रिक्तियों के चार गुणा तक हो सकता है। इसीप्रकार 'बी'वर्ग के शाखाओं के लिए (हमारा बैंक सहित) सीएजी में दिए गए रैंक की संख्या अनुसार अर्थात उस वर्ष इस वर्ग (वर्ग-बी) में उपलब्ध रिक्ति के आठ गुणा के बराबर होगा। बैंकों को सूची अग्रेषित करते समय बैंकों के प्रत्येक वर्ग, अनुभवी और नए, दोनों के लिए ऊपरी सीमा निर्दिष्ट करेगा।

एफ) अंतिम चयन करते समय, बैंक निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखेगा:-

ए. जहां तक संभव हो, कम से कम दो ऐसे लेखापरीक्षा फ़र्म का चयन किया जाए जहां बैंक का प्रधान कार्यालय/नैगम कार्यालय अवस्थित हो।

बी.रेस्ट में जाने से पहले अगर कोई लेखापरीक्षा फ़र्म सिंडिकेट बैंक से सेवा निवृत्त हुई हो तो उसका चुनाव नहीं किया जाएगा।

सी.जिस फ़र्म का साझेदार, सा. क्षे. के बैंक के निदेशक मण्डल में हो, वे उसी बैंक के लिए लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी।

डी.एक वित्तीय वर्ष में एक लेखापरीक्षा फ़र्म सिर्फ एक ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

ई. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, गोपनियता बनाए रखने के लिए लेखापरीक्षा फ़र्म के प्रत्यय - पत्र के बारे में पता लगाया जाए। इसके लिए निम्न में से तीन को शामिल करते हुए महाप्रबंधकों की समिति बनाई जाएंगी

ए. महाप्रबंधक (केंद्रीय लेखा विभाग)
बी.महाप्रबंधक (कॉरपोरेट ऋण विभाग),
सी.महाप्रबंधक (आरआरबीयू विभाग - वसूली प्रभाग)

एफ.सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षाकार्य के करने की सहमति हेतु बैंक उपरोक्त छँटनी किए गए लेखापरीक्षा फ़र्म से उनकी सहमति को लिखित में प्राप्त करेगा। सहमति पत्र में, यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि लेखा परीक्षक को पीएसबी के किसी भी भाग पर कोई भी सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षा का कार्य नहीं सौंपा जाएगा और अगर अन्य बैंक संपर्क करना चाहे तो लेखापरीक्षा फ़र्म भी ऐसे विभिन्न पीएसबी को अपनी सहमति देने को स्वतंत्र होगी।

जी. छाँटी गई सूची को एससीए की नियुक्ति हेतु सहमति पत्र लेने हेतु प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करने के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा। प्राथमिकता क्रम के आधार पर एसीबी लेखापरीक्षा फर्मों को अनुमोदित करेगा। ऐसी स्थिति जहाँ कुछ फर्मों ने सहमति नहीं दी है, की देख-रेख के लिए पर्याप्त संख्या में लेखापरीक्षा फर्मों का अनुमोदन किया जाए।

एच.उसके बाद, बैंक प्राथमिकता क्रमानुसार लेखापरीक्षा फ़र्म से संपर्क कर लिखित में सहमति पत्र प्राप्त करेगा

आई.लेखा परीक्षक फ़र्म उस वर्ष के लिए एवं कुछ निर्धारित शर्तों के अनुपालन के साथ आगे के वर्षों के लिए भी बैंक में अपनी नियुक्ति हेतु सहमति लिखित में देगा। अगर वह लेखा परीक्षक फ़र्म सहमति पत्र नहीं देता है तो बैंक प्राथमिकता क्रमानुसार अगले लेखापरीक्षा फ़र्म से संपर्क करेगा और यह तब तक चलते रहेगा तब तक कि बैंक द्वारा उस वर्ष के लिए घोषित रिक्तियों के बराबर सहमति पत्र न प्राप्त कर लिए जाएँ।

जे. सहमति पत्र में स्पष्टतः यह दर्शाया जाए कि सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षा का चयन पूर्ण रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की विषय वस्तु है और किसी प्रकार की अपरिहार्य घटना के स्थिति में लेखापरीक्षा फ़र्म किसी भी प्रकार से सा. क्षे. के बैंक और भा.रि. बैंक के विरूद्ध दावा नही करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी उस सहमति पत्र में स्पष्ट अंकित करे कि नियुक्ति पूर्ण रूप से निर्धारित मानदंड के अनुपालन तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर जारी सूची के सहमति पत्र में, लेखापरीक्षा फ़र्म यह घोषणा करे कि इस प्रकार का सहमति पत्र केवल एक ही पीएसबी को दिया गया है।

के. लेखापरीक्षा फ़र्म अपने सहमति पत्र में यह भी समविष्ट करे कि यह सहमति पत्र अप्रतिसंहरणीय माना जाए और एक बार बैंक को सहमति पत्र देने के बाद लेखापरीक्षा फार्म के बैंक बदलने हेतु किसी प्रकार के बदलाव हेतु किसी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

एल.चयनित लेखापरीक्षा फ़र्म जिन्होंने सिंडिकेट बैंक में सांविधिक लेखापरीक्षा के रूप में नियुक्ति हेतु उपर्युक्त तरीके से सहमति दी है उसे वास्तविक नियुक्ति अनुमोदन के लिए आरबीआई को अग्रेषित करने से पूर्व उसके समवर्तन हेतु एसीबी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ।

6) वैसे लेखापरीक्षा फ़र्म जो अपनी सहमति लिखित में देने के बावजूद अगर बिना किसी वैध कारण, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का संतुष्ट न होना होगा, नियुक्ति होने से मना कर देता है तो उसे चयन से अगले तीन वर्षों के लिए वंचित किया जाएगा।

7) चयन के बाद, सांविधिक आवश्यकता के अनुसार, बैंक, वास्तविक नियुक्ति से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति के लिए चयनित एससीए के नाम को अग्रेषित करेगा।

8) सिंडिकेट बैंक द्वारा एससीए के रूप में चयनित लेखापरीक्षक फ़र्म को एक घोषणा पत्र देना होगा कि वे जैसे निजी क्षेत्र के बैंक/विदेशी बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक/वित्तीय संस्थान जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक, एक्ज़िम बैंक इत्यादि के साथ मौजूद अपने कार्य का, यदि हो तो, परित्याग करेंगो यदि उनका चयन सिंडिकेटबैंक की नियुक्ति को तिरस्कार नहीं कर सकते।

9) बैंकों की वार्षिक लेखापरीक्षा के बाद लेखा परीक्षक की गुणवत्ता के बारे में पीएसबी भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिपुष्टी देगी।

सांविधिक शाखा लोखपरीक्षकों (एसबीए) के चयन हेतु नीति (एसबीए) :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक के रुप में नियुक्त की जानेवाली लेखापरीक्षा फार्म सूचीकरण (2018-19) के लिए मानदंड:-

वर्ग	फ़र्म से पूर्ण रूप से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट की संख्या (पूर्णकालिक)	फ़र्म से पूर्ण रूप से जुड़े साझेदारों की संख्या (दो में से)	पेशेवर कर्मचारी	बैंक लेखापरीक्षा में अनुभव	ऑडिट फ़र्म का स्थायित्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	5	3	8	फ़र्म को या कम से कम उसके एक साझेदार को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक और/या निजी क्षेत्र के बैंक में लेखापरीक्षा करने का कम से कम 8 वर्ष का अनुभव हो।	8 वर्ष
II.	3	2	6	फ़र्म का या कम से कम एक साझेदार ने प्राथमिक रुप से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक में लेखापरीक्षा का कार्य किया हो	6 वर्ष (फ़र्म के लिए या कम से कम एक साझेदार)
III.	2	1	4	फ़र्म या उसके कम से कम एक सीए ने कम से कम 3 वर्ष से प्राथमिक रुप से किसी राष्ट्रीय कृत व निजी क्षेत्र के बैंक की शाखा लेखापरीक्षा की है।	5 वर्ष (फ़र्म के लिए या कम से कम एक साझेदार के लिए)
IV.	2	2	2	आवश्यक नहीं	3 वर्ष
	बैंक ऑडिट अनुभव रहित स्वामित्वधारी संस्था को भी तदनुसार माना जा सकता है:- (स्वामित्वधारी चार्टेड अकाउंटेंट जिसमें 1 वेतनभोगी सीए, 2 पेशेवर कर्मचारी हो और जिसे किसी भी राष्ट्रीयकृत या निजी क्षेत्र के बैंक की शाखा लेखापरीक्षा करने का अनुभव नहीं है, को उसकी स्थापना वर्ष से तीन वर्ष घटाकर साझेदार फ़र्म के साथ रखा जाएगा।				

<u>सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया (एसबीए) :</u>

वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा हेतु चयन की जाने वाली शाखाओं के लिए मानदंड इस प्रकार हैं:-

(ए) सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा उन सभी शाखाओं का होना है जहां अग्रिम 20 करोड़ और उससे ऊपर हो तथा बाकी बची शाखाओं में 1/5 शाखा जिसमें ग्रामीण/अर्ध शहरी/शहरी और महानगरीय शाखा विशेषतः वह शाखा जिसका समवर्ती लेखापरीक्षा नहीं हुआ हो सम्मिलित हो ताकि बैंक के 90% अग्रिम को शामिल किया जा सकें। सीपीयू/एलपीयू और अन्य केंद्रीकृत हब जिसे चाहे जो भी नाम दिया जाए, को बाकि बचे शाखाओं में से प्रत्येक वर्ष 1/5 शाखा के हिसाब से सम्मिलित किया जाएगा।

(बी) **शाखा सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसबीए) का चयन निम्नांकित मानदंडों पर आधारित है:-**

- फ़र्म का चयन इस ढंग से किया जाए ताकि लेखापरीक्षा कार्यक्रम का समय व उसमें खर्च बचाने के लिए साजो लाभ सुनिश्चित किया जा सकें। स्थानीय लेखापरीक्षक न मिलने की स्थिति में समीपस्थ जिले/ राज्य के लेखापरीक्षकों को चयन करने पर विचार किया जा सकता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार लेखापरीक्षा हेतु चयनित शाखाओं के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए अपेक्षित लेखा परीक्षकों की संख्या पहचानना और उस जिले में मौजूद सतत लेखापरीक्षकों की उपलब्धता पर विचार करने की आवश्यकता है।
- इन मानदंडों के आधार पर महाप्रबंधक (केंद्रीय लेखा विभाग) म.प्र (आरआरबीयू-वसूली), म.प्र (ऋण) एवं उप/ सहायक महा प्रबंधक (केंद्रीय लेखा विभाग) जैसे चार कार्यपालक से भरी एक समिति संबंधित जिले के लिए अपेक्षित शाखा लेखापरीक्षकों का चयन नियुक्ति हेतु करेगी। यहाँ समति शाखाओं का चयन इन-हाउस एप्लिकेशन के माध्यम से कर सकती है

(सी) कट ऑफ बिन्दु से नीचे के शाखाओं के लिए, जिनकी सनदी लेखाकार द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा की जा सकती है, के संबंध में, एलएफएआर एवं अन्य प्रमाणन की प्रस्तुती, जो पहले एसबीए द्वारा किया जा रहा था अबसे समवर्ती लेखापरीक्षक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा और सामान्यतः इन शाखाओं की संविधिक लेखापरीक्षानहीं की जाएगी। इस प्रकार समवर्ती लेखापरीक्षक से प्राप्त एलएफ़एआर और अन्य प्रमाणन को बैंक सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के पास जमा करेगा जो कि बैंक के आंतरिक दस्तावेज़ माना जाएगा।

(डी) उस शाखा को जहाँ धोखाधड़ी, गबन का फ़्रौड या संदेहास्पद प्रकृति का लेनदेन किया गया हो वह लेखापरीक्षा के लिए चुना जाना आवश्यक है।

(ई) शाखा लेखापरीक्षा के लिए फ़र्म के रेस्ट तथा रोटेशन से संबन्धित नियम वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार होंगे।

2. सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक की नियुक्ति में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाए जाएंगे:-

i. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) योग्य लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षा फ़र्म की सूची बनाएगा।

ii. उक्त सूची में से वैसे लेखापरीक्षा फ़र्म जिनके खिलाफ नकारात्मक अभियुक्ति/अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो या जिन्हे पहले कभी लेखापरीक्षा करने से माना कर दिया गया हो, को छोड़कर बाकि को सतत एवं रेस्ट श्रेणी में वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

iii. उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चयन हेतु अंतिम सूची को अग्रेषित करेगा।

iv. बैंक अपने आवश्यकता के हिसाब से लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षा फ़र्म का चयन करेगा। बैंक नियुक्ति हेतु चयनित सभी लेखापरीक्षा फर्म को स्पष्ट रूप से यह सलाह देगी कि प्रत्येक लेखापरीक्षा फर्म लेखापरीक्षा कार्य (शाखा लेखापरीक्षा) सिर्फ एक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में कर सकते हैं। लेखापरीक्षाफर्म को संबंधित बैंक में उस वर्ष के लिए और उसके बाद के वर्षों के लिए शाखा लेखापरीक्षक के रुप में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु, अपनी सहमति लिखित रुप में प्रस्तुत करना होगा।

v. लेखापरीक्षा फ़र्म से इस प्रकार से प्राप्त सहमति पत्र को अविकल्पीय माना जाएगा और फ़र्म द्वारा बैंक बदलने के निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

vi. सांविधिक आवश्यकता के अनुसार, शाखा के लिए लेखापरीक्षक के चयनोपरांत इनकी वास्तविक नियुक्ति से पूर्व बैंक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक तथा चयनित लेखापरीक्षक की सूची भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

3. एसबीए का अधिकतम अवधि चार वर्ष होगा। समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के पालन करने की स्थिति में तथा उनके योग्यता के आधार पर एसबीए की नियुक्ति वार्षिक आधार पर की जाएगी।

4. निम्नलिखित 33 केन्द्रों (जैसे मुंबई, कोल्हापूर, पुणे, सोलापुर, ठाणे, कोलकाता, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली/नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, एरणाकुलम, इंदोर, नागपुर, लुधियाना, गाजियाबाद, राजकोट, नासिक, लखनऊ, रायपुर, भोपाल, गौतम बुद्ध नगर, औरंगाबद और पटना) पर लेखापरीक्षा की जाने वाली शाखाओं से योग्य लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षा फ़र्म की संख्या अधिक होगी। ऐसे केन्द्रों पर चार वर्षों के सतत शाखा लेखापरीक्षा के बाद प्रत्येक लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षा फर्म को आगे दो साल के लिए रेस्ट में रखा जाए। अन्य वैसे केन्द्रों पर जहां लेखापरीक्षा की जाने वाली शाखाओं की संख्या से लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षा फ़र्म की संख्या कम हो वहा चार वर्ष की सतत लेखापरीक्षाहोने के बाद लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षा फर्म रोटेशन नीति के अधीन होगा और उनकी नियुक्ति रोटेशन के अधीन होंगी।

5. शाखा आवंटन करते समय, बैंक उन लेखापरीक्ष / लेखापरीक्षा फ़र्म का चयन करेगा जो शाखा/कार्यालय से निकट हो। लेखापरीक्षा की जाने वाली शाखा के आकार के मद्देनज़र लेखा परीक्षक/ लेखापरीक्षा फर्मों का विभिन्न वर्गों में मिश्रण किया जाएगा।

6. जैसे हीं एससीए के द्वारा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षाहोने वाला हो, तब बैंक शीर्ष 20 शाखाओं (अवश्य बकाया अग्रिम स्तर के आधार पर चयनित) को ऐसे एससीए को निर्धारित करें जिससे की बैंक के कुल अग्रिम का 15% उसके अंदर आ जाए।

<u>एससीए और एसबीए दोनों के लिए लागू सामान्य दिशा-निर्देश:</u>

(i) सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में उसके बोर्ड से अनुमोदित नीति होनी चाहिए और उसे बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। बैंक को भी यह सुनिश्चित करना है कि लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षा फ़र्म को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति का पूर्णतया पालन किया जाता हो। आगे, नियुक्ति के लिए चयनित सांविधिक फ़र्म को भारतीय रिजर्व बैंक में अनुमोदनार्थ अग्रेषित करने से पहले सहमति हेतु एसीबी के समक्ष रखा जाए।

(ii) एक पीसीबी के लिए एक लेखापरीक्षा फ़र्म नीति जारी रहेगी। इसी प्रकार एक वित्तीय वर्ष में एक लेखापरीक्षाफ़र्म सिर्फ एक ही पीएसबी के लिए केंद्रीय/शाखा लेखापरीक्षक के रूप नियुक्ति हेतु योग्य होगा।

(iii) आगे, ऐसे लेखापरीक्षा फ़र्म जो एक बार किसी पीएसबी में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षाके रुप में चुन लिया जाता है उसके बाद वह किसी भी अन्य निजी क्षेत्र के बैंक/विदेशी बैंक में सांविधिक/ केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(iv) प्रत्येक वर्ष योग्यता मानदंड पूरा करने पर लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षा फ़र्म की स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए बैंक को एससीए/शाखा लेखा परीक्षक को लगातार क्रमशः तीन और चार वर्षों के लिए नियुक्त करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमति के बिना बैंक उक्त अवधि में लेखापरीक्षाफ़र्मों को हटा नहीं सकता।

(v) उस वर्ष तथा आगे के वर्षों के लिए बैंक में लेखापरीक्षा फ़र्म की नियुक्ति हेतु लेखापरीक्षा फ़र्म से लिखित अविकल्पी सहमति पत्र प्राप्त किया जाए। लेखापरीक्षाफ़र्म से इस प्रकार से प्राप्त सहमति पत्र को अविकल्पीय माना जाएगा और फ़र्म द्वारा बैंक बदलने के निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक अनुमोदित नीतिगत दिशानिर्देशों में तत्काल क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों को जोड़ने व घटाने के लिए अनुमति प्रदान कर सकते हैं। इस नीति की समीक्षा एसीबी/ बोर्ड द्वारा वार्षिक आधार पर की जाएगी।

****